

11.02.2020

डिक्रीधारी द्वारा श्री नितिन मिश्रा अधिवक्ता उपस्थित ।
मद्यून पूर्व से अनुपस्थित ।

प्रकरण में डिक्रीधारी की ओर से व्यक्त किया गया कि उन्हें
संपूर्ण डिक्रीधन प्राप्त हो गया है तथा प्रकरण को पूर्ण संतुष्टि में
निरस्त कर दिया जाए। वह प्रकरण में अब कोई अग्रिम कार्यवाही
नहीं चलाना चाहते हैं।

अतः यह प्रकरण डिक्रीधारी की पूर्ण संतुष्टि में निरस्त किया
जाता है।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर संपूर्ण प्रपत्र एतद् समय
अभिलेखागार में जमा कराया जाए।

(अमित रंजन समाधिया)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
शुजालपुर जिला शाजापुर